न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 278 / 2018 निर्णय दिनांक :–02.12.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

नवल किशोर पुत्र गुजरमल जाति अग्रवाल महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

– प्रार्थी –

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामपाल जाति हरिजन निवासी वार्ड संख्या 3 देवली जिला–टोंक (राज0)
2. पिन्टू पुत्र रामपाल जाति हरिजन निवासी वार्ड संख्या 3 देवली जिला–टोंक (राज0)

– अप्रार्थीगण –

–उपस्थिति –

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि हाल ख0नं0 4028 रकबा 0.91 है0, वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी ने वर्तमान में सरसों की फसल काश्त कर रखी है एवं मौके पर काबिज है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की उक्त आराजी से कोई संम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी के खेत के पश्चिम दिशा की–तरफ कच्ची डोल बनी हुई है जिस पर बंबुल के पेड़ उगे हुए है ओर जो लगभग 8 फीट चौड़ी है। उक्त मेंर भी प्रार्थी की खातेदारी में किसिति है। उक्त विवादित खेत के पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थीगण को खेत है।

प्रार्थीगण बहुत ही शरारती एव झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जिनका प्रार्थी की खातदारी के खेत की प्श्चम दिशा की तरफ बनी हुई मेर एवं उस पर उगे हुए बंबूलो के पेड़ो से कोई संबंध नही है। अप्रार्थीगण ने कल दिनांक 03.01.19 को अचानक विवादित खेत की पश्चिमी मेंर पर उगे हुए बंबूलो के पेड़ो को काटना शुरू कर दिया है और जेसीबी से उक्त पश्चिमी मेर को तोउ़कर स्वयं के खेत में मिलाना चाहते है जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने से मना किया तो वे लड़ाई झगड़ा करने एवं मारपीट करने पर आमादा हो गये है। इसलिए अप्रार्थी गण को जरिये के कब्जेकाश मे मजामहत नही करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में वॉद के तथ्यो को दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे जमाबन्दी संम्वत 2070–73 वाके ग्राम देवलगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली में प्रार्थीगण खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के करण अप्राथीगण संख्या 1 ता 2 को पाबन्द करवाने के हकदार है। अतः अप्रार्थीगण 1 ता 2 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 4028 रकबा 0.91 है0, वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे तथा उक्त आराजी भूमि की पश्चिमी दिशा पर उगे हुए बबूलो को नही काटे, उक्त मैर पर किसी प्रकार की तौड़–फोड़ नहीं करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। ताफैसलावाद पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner